यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) के माह 09/2015 से 08/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 05.09.2018 से 13.09.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मौर्या एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 28.09.2015 से 07.10.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 08/2012 से 08/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 08/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं तथा स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र दो विकास खण्डों क्रमशः ओखलकाण्डा एवं रामगढ हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	27.81	–	850.78	695.03	157.10	145.79	–	183.56	–	11.31
2016–17	58.12	–	817.02	765.04	167.50	145.21	–	110.10	–	22.29
2017–18	–	–	2024.83	1339.83	157.86	156.52	–	685.00	–	1.34
2018–19 (8/18)	–	–	250.60	130.05	151.17	105.16	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	717.24	607.82	–	109.42
2016–17		–	598.41	532.35	–	66.06
2017–18		–	1881.46	1255.70	–	625.76
2018–19 (8/18)		–	243.00	127.11	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन अथोराईजेशन के रुप में अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''ब'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

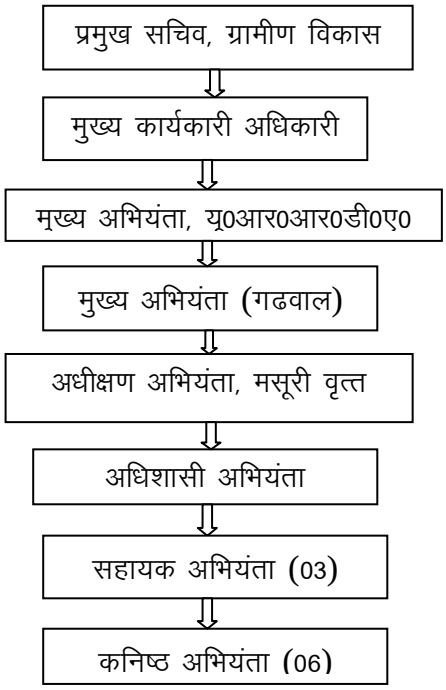

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 09 निर्माण कार्यों (पूर्ण–06 एवं प्रगतिरत–03) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 07/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में जून 2018 तक का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51 माह 08/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।
6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 08/2018 के अन्त में : शून्य
7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 45.01 लाख का अधिक भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) के चयनित मोटर मार्गों के लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि दो मोटर मार्गों (पदमपुरी–दानाचुली–लोहाघाट किमी0 117 से सुनकोट) एवं के आगणन एवं निविदा हेतु शिड्यूल ''ब'' में मार्ग की आधार सतह तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 एवं तालिका 400.13 का प्रावधान किया गया था, जो दर–अनुसूची में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित है। खण्ड द्वारा जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की विशिष्टियों की दरों के विपरीत उच्च ग्रेड वाली मद (GSB by providing well graded material) की दरें ली गई थी तथा मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने के बावजूद जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की दरों से भुगतान किया गया। यदि मोटर मार्ग में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त की गई तो विकास खण्डवार तत्कालीन दर–अनुसूची में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर से ही भुगतान किया जाना चाहिए था, जो कि इन दोनों मोटर मार्गों में नहीं किया गया।

इसप्रकार, **पदमपुरी-दानाचुली-लोहाघाट किमी 117 से सुनकोट मोटरमार्ग** में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने एवं इस मद हेतु लागू दर–अनुसूची के विपरीत उच्चतर दर पर भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 45.01 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

मार्ग का नाम	डी0पी0आर0 / प्राविधिक में जी0एस0बी0 की दर	अनुबन्धित / अन्तिम देयक की दर	दर–अनुसूची के अनुसार जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर	दर में आधिक्य (3-4)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पदमपुरी–दानाचुली–लोहाघाट किमी0 117 से सुनकोट	1565.80	1500.00	540.40	959.60	4690.98	4501464.41
योग :–						4501464ण्41

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि जी0एस0बी0 की दरें एन0आर0आर0डी0ए0 / टी0ए0सी0 द्वारा जॉची गयी हैं। खण्ड द्वारा स्वीकृति के अनुरुप ही कार्य सम्पादित एवं तद्नुसार भुगतान किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद की स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति एवं अनुबन्ध में निर्धारित थी तथा उसी मद का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में भी किया गया हो तो उसी मद की दर–अनुसूची की दर से ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना चाहिए था, जो कि इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

अतः निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 45.01 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 बिना वनभूमि निस्तारण के मोटर मार्ग/सेतु निर्माण पर हुए अलाभकारी व्यय रु0 294.78 लाख के साथ–साथ लक्षित बसावटों की जनसंख्या का आवागमन सुविधा से बंचित रहना।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एम0डी0आर0 29 के किमी0 51 से क्यारी बन्दोबस्ती मोटर मार्ग के किमी0 4 में 24 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु निर्माण हेतु रु0 178.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (21.07.2016) तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा सम्पूर्ण धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (22.10.2016)। सेतु के निर्माण हेतु रु0 166.02 लाख का अनुबन्ध संख्या 144/XIII/ CE-URRDA/2016 दिनॉक 26.12.2016 गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथियॉ क्रमशः 01.01.2017 एवं 31.12.2017 थी। सेतु निर्माण का प्रमुख उद्देश्य 685 जनसंख्या (क्यारी बन्दोबस्ती : 352 एवं क्यारी खाम : 333) के साथ–साथ पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के आवागमन सुविधा से लाभान्वित किया जाना था।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) के उपरोक्त सेतु निर्माण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मोटर मार्ग (लम्बाई 6.00 किमी0) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर के अधीन था तथा मार्ग के अन्तर्गत आने वाली वनभूमि की विधिवत स्वीकृति भी लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त की गई थी (जनवरी 2011)। निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर द्वारा स्वीकृति लम्बाई 6.00 किमी0 के सापेक्ष 1.50 किमी0 में कार्य पूर्ण (मार्च 2017) कर शेष मार्ग को पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड को हस्तान्तरित किया गया। खण्ड को अवशेष 4.50 किमी0 निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा रु0 334.55 लाख स्वीकृत किए गये (04.02.2014), जिसके सापेक्ष रु0 233.02 लाख व्यय के साथ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया (30.12.2015)। खण्ड द्वारा मोटर मार्ग को लो0नि0वि0 से हस्तानान्तरण के समय वनभूमि निस्तारण के प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण सेतु निर्माण के दौरान वन विभाग द्वारा वनभूमि की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि हस्तान्तरित न किए जाने के कारण सेतु का निर्माण कार्य रोक दिया गया (06.12.2017)। सेतु का कार्य रोके जाने तक सेतु निर्माण में रु0 61.76 लाख का व्यय के साथ मात्र सब–स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण किया गया था तथा वन विभाग से स्वीकृति अपेक्षित थी।

इसप्रकार, बिना वनभूमि निस्तारण के मोटर मार्ग पर हुए व्यय रु0 233.02 लाख तथा सेतु निर्माण पर अद्यतन व्यय रु0 61.76 लाख अर्थात कुल रु0 294.78 लाख व्यय के बावजूद भी न केवल सेतु का निर्माण कार्य बाधित है अपितु सेतु निर्माण किए बिना लक्षित बसावट क्यारी बन्दोबस्ती (आवादी 352) तथा अन्य लाभान्वित बसावट क्यारी खाम (आवादी 333) की जनता विगत तीन वर्षों से मोटर मार्ग के लाभ से बंचित रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीखा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि विधिवत स्वीकृति की शर्तो का पूर्ण अनुपालन न किए जाने के कारण सेतु निर्माण के निर्माण को वन विभाग द्वारा रोका गया है। जिलाधिकारी द्वारा कार्य हस्तान्तरण के आदेश दिए गये हैं। वर्तमान में प्रकरण वन विभाग के अधीन लम्बित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि विधिवत स्वीकृति अन्य विभाग द्वारा ली भी गयी थी तो हस्तान्तरण के समय उसकी शर्तों के अनुपालन का संज्ञान लिया जाना चाहिए था।

अतः बिना वनभूमि निस्तारण के मोटर मार्ग/सेतु निर्माण पर हुए अलाभकारी व्यय रु0 294.78 लाख के साथ–साथ लक्षित बसावटों की जनसंख्या का आवागमन सुविधा से बंचित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 17.99 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, व्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) के चयनित कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही खण्ड कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 1.0 प्रतिशत की धनराशि उनके चालू एवं अन्तिम देयकों से कटौती की गई। अतः लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित पूर्ण 04 कार्यों अनुबन्धित धनराशि रु0 1799.13 लाख के सापेक्ष 1.0 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि रु0 17.99 लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	निर्माण लागत	अनुबन्धित राशि	बीमा कटौती योग्य राशि
1.	पदमवती–दानाचुली–लोहाघाट किमी0 117 से सुनकोट	614.04	607.85	607850.00
2.	महतोलीगॉव से मजोली	343.93	307.56	307560.00
3.	वलना से बालना	290.53	265.08	265080.00
4.	कुराब–मौना–सिरगाखेत से गरारीलटवाल	663.49	618.64	618640.00
योगः–		**1911.99**	**1799.13**	**1799130.00**

इसप्रकार, रु0 17.99 लाख की कटौती न किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुॅचाया गया अपितु मोटर मार्गों में उस हद तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम बना रहा जब तक मोटर मार्ग के अनुबन्धों का अन्तिमीकरण न किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी एजेन्ट पॉलिसी हेतु तैयार नहीं है तथा इस बावत उच्चाधिकारियों से निर्देश मॉगे गये, जो अभी तक अपेक्षित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से 1.0 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 17.99 लाख के अदेय लाभ पहुॅचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3: निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 1.65 लाख का निरर्थक व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की निर्देशिका प्रस्तर 8.5 (vi) के अनुसार पहाडी राज्यों में निर्माण कार्य के आकलन दो भागों में तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य और निकासी कार्य तथा द्वितीय चरण में पेंवमेंन्ट के कार्य जैसे ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटुमिन की सतह बिछाने का कार्य सम्मिलित किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वलना से बलना मोटर मार्ग के आगणन एवं अनुबन्ध में स्टेज–। के कार्यों के साथ जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री का प्रावधान कर सम्पादित किया गया, जबकि निर्देशिका के अनुसार ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह का कार्य द्वितीय चरण के कार्यों में बिटुमिन के साथ किया जाना चाहिए था। सम्पादित जी0एस0बी0 का विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	अन्तिम देयक के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0		अधिक भुगतान
	सम्पादित मात्रा (cum)	दर	
वलना से बलना	299.37	550.00	164653.00
योगः–			**164653.00**

इसप्रकार, निर्देशिका के विपरीत स्टेज–। में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री सम्पादित कर रु0 1.65 लाख का निरर्थक व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मोटर मार्ग के कुछ हिस्से में दल–दली जमीन होने तथा वाहनों के सुचारु रुप से आवागमन हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फारमेशन कटिंग के पश्चात् ही इन समस्त कार्यों हेतु स्टेज–।। का प्रावधान है जिसमें डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमन की सतह बिछाने का कार्य किया जाता है ताकि मार्ग निर्माण से योजना के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके। सम्बन्धित मोटर मार्गों में बिना फारमेशन कटिंग के ही जी0एस0बी0 का प्रावधान कर सम्पादित किया जाना न केवल ग्रामीण सडक मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत था अपितु रु0 1.65 लाख का अनावश्यक दुरुपयोग था।

अतः निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 1.65 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
165 / 2015–16	1 एवं 2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
165 / 2015–16	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–
   (i) माप पुस्तिका सं0 20/एल, 41/एल, 09/एल, 34/एल, 35/एल, 36/एल, 37/एल, 38/एल, 39/एल, 40/एल,
2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 जे0एस0 हयांकी	अधिशासी अभियंता	01.09.2015 से 21.07.2016
2.	ई0 आर0सी0 पन्त		21.07.2016 से 16.11.2017
3.	ई0 डी0पी0एस0 नेगी		17.11.2017 से 29.11.2017
4.	ई0 आर0सी0 पन्त		29.11.2017 से 06.01.2018
5.	ई0 डी0पी0एस0 नेगी		06.01.2018 से 25.04.2018
6.	ई0 बी0बी0 पुनेठा		25.04.2018 से 17.08.2018
5.	ई0 आर0सी0 पन्त		17.08.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0 जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र